भगवती बंदर ता.जि.रत्नागिरी येथे क्रुझ टर्मिनल विकसीत करणे, या कामाचे रु.३०२,४२,१०,१७१/- इतक्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास सागरमाला प्रकल्पांतर्गत (लेखाशिर्ष ३०५१ १८९१ मध्ये) प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**
**गृह विभाग**
**शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-११२३/प्र.क्र.९७/बंदरे-२**
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
दिनांक :- २३ ऑगस्ट २०२४

**वाचा :-** १. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे दि.२३.१०.२०२३ रोजीचे पत्र

**प्रस्तावना:-**

भगवती बंदर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन पासून साधारण १९ कि.मी.अंतरावर भगवती बंदर असून जवळच विमानतळ देखील आहे. सद्यस्थितीत मुंबई ते गोवा अशी फेरी सेवा जलेश व आंग्रीया ह्या क्रुझव्दारे सुरु आहे. मुंबई ते गोवा जलमार्गावर महाराष्ट्राच्या सागरी किनारपट्टीमध्ये कोठेही थांबा नाही. त्यामुळे पर्यटकांना रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील पर्यटन स्थळे पाहता येत नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बहुतांशी पर्यटन स्थळे ही भगवती बंदराच्या आसपास आहेत. त्यामुळे भगवती बंदर येथे सुसज्ज असे क्रुझ टर्मिनल विकसीत केल्यास पर्यटकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. परीणामी स्थानिकांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. त्यानुसार "भगवती बंदर येथे क्रुझ टर्मिनल विकसीत करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळांनी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे.

महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी राज्य दरसुची सन २०२२-२३ नुसार या रु.३०२,४२,१०,१७१/- (अक्षरी किंमत रुपये तीनशे दोन कोटी बेचाळीस लक्ष दहा हजार एकशे एकाहत्तर मात्र) इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय**

या शासन निर्णयान्वये भगवती बंदर येथे क्रुझ टर्मिनल विकसीत करणे, ता.जि.रत्नागिरी" या कामाचे रक्कम रु.३०२,४२,१०,१७१/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

२. या अंदाजपत्रकात खालील बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

- गाळ काढणे व खोदकाम करणे.
- धक्का तयार करणे.
- लाटरोधक भिंतीची लांबी वाढविणे.
- टर्मिनल इमारत बांधणे.
- रस्ता, वाहनतळ व फुटपाथ
- संरक्षक भिंत व आवार भिंत
- विद्युतीकरण करणे
- सांडपाणी उपाययोजना
- बगिचा, अग्नीरोधक यंत्रणा उभारणे.

| Construction of Cruise Terminal At Bhagwati Bunder Ratnagiri | | | |
|---|---|---|---|
| **Recapitulation Sheet** | | | |
| **Sr.No.** | **Description** | | **Amount in Rs.** |
| | Part A:- Work Portion | | |
| | **OFFSHORE** | | |
| 1 | Dredging & Excavation work | | 9,56,13,336.00 |
| 2 | Wharf | | 51,31,64,060.00 |
| 3 | Approach Jetty | | 22,57,52,534.00 |
| 4 | Breakwater Structure | | 1,03,15,30,006.00 |
| | **ONSHORE** | | |
| 5 | Terminal Building | | 16,41,76,184.00 |
| 6 | Earthwork | | 47,97,529.00 |
| 7 | Roadway And Parking, Hardscaping & Foothpath | | 2,81,91,454.00 |
| 8 | Retaining Wall | | 1,73,75,964.00 |
| 9 | Compound Wall | | 20,19,191.00 |
| 10 | Electric Power Supply and Distribution including Electric Substation and General lighting | As per Estimate | 1,71,71,835.00 |
| 11 | Supply and Distribution of Fresh water including Overhead tank and Underground sumps | As per Estimate | 24,68,297.00 |
| 12 | Drainage and Sewerage including Septic tanks, Sewage Treatment plant, water Seperation unit. | As per Estimate | 21,40,895.00 |
| 13 | Electronics & Mechanical Items, Security System | As per Estimate | 1,44,64,443.00 |
| 14 | External Fire Fighting | As per Estimate | 1,53,70,960.00 |
| 15 | Greeneries, Garden /Parks, Landscaping in Front of the Main gate/ Entrance | Lump Sump | 60,00,000.00 |
| 16 | Environmental Impact Assessment, table Model of The Terminal and Walkthrough Presentation | Lump Sump | 10,00,000.00 |
| 17 | Fire Extinguisher, Hydrants and other equipement's | Lump Sump | 10,00,000.00 |
| 18 | Furniture – Sofa, Tables, Chairs, Conference tabls, Waiting loung Seats. | Lump Sump | 50,00,000.00 |
| 19 | Radio Communication Devices | Lump Sump | 20,00,000.00 |
| | **Total Part A** | | **2,14,92,36,688.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | **Part B:- Royalty Charges And Testing Charges** | | |
| | | Testing | 54,95,870.00 |
| | | Royalty | 6,44,65,453.00 |
| | | **Total Part B** | **6,99,61,323.00** |
| | | **Total Part A + Total part B** | **2,21,91,98,011.00** |
| | Add 4% for Contingencies On Part A+B | | **8,87,67,920.44** |
| | Add 1% for Insurance Charges, On Part A | | **2,14,92,366.88** |
| | Add 10% Escallation on Part A+B | | **22,19,19,801.10** |
| | PMC Charges 4% On Part A | | **8,59,69,467.52** |
| | Add 18% GST On Part A | | **38,68,62,603.84** |
| | **Total** | | **3,02,42,10,170.78** |

३. प्रस्तावित कामाची सुरुवात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. सदर काम सागरमाला योजनेअंतर्गत प्रस्तावित असल्याने केंद्र हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा ५०% असा असून राज्य हिश्यपोटी रु.१५१.८१ कोटी इतका निधी खर्च होणार आहे. राज्य हिश्यामधून वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील

| आर्थिक वर्ष | राज्य हिस्सा ५०% अपेक्षित खर्च |
|---|---|
| २०२४-२५ | १.०० कोटी |
| २०२५-२६ | ७०.०० कोटी |
| २०२६-२७ | ८०.८१ कोटी |
| **एकुण** | **१५१.८१ कोटी** |

४. या लेखाशिर्षाखाली सुरु असलेल्या कामांचा वित्तीय नियोजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

(रुपये कोटीमध्ये)

<table>
<tr><th rowspan="2">अ. क्र.</th><th rowspan="2">कामाचे नाव</th><th rowspan="2">किंमत</th><th rowspan="2">राज्य हिस्सा अपेक्षित खर्च</th><th colspan="2">राज्य हिस्सा वर्षाअखेर झालेला खर्च</th><th rowspan="2">चालु वर्षात अपेक्षित खर्च (राज्य)</th><th colspan="3">पुढील वर्षासाठी carry forward करावयाची तरतुद</th></tr>
<tr><th>प्राप्त निधी</th><th>खर्च</th><th>अ</th><th>ब</th><th>क</th></tr>
<tr><td>१</td><td>मोरा, ता.उरण, जि.रायगड येथे रो-रो जेट्टी बांधणे</td><td>८८.७२</td><td>४४.३६</td><td>३९.९०</td><td>८.३५</td><td>०.०३</td><td>०.००</td><td>०.००</td><td>०.००</td></tr>
<tr><td>२</td><td>खारवाडेश्री येथे जेट्टी व तत्सम सुविधा तयार करणे, ता.जि.पालघर</td><td>२३.६८</td><td>११.८४</td><td>१.१३</td><td>०.००</td><td>४.३४</td><td>०.००</td><td>०.००</td><td>०.००</td></tr>
<tr><td>३</td><td>कोलशेत, जि.ठाणे येथे जेट्टीचे बांधकाम करणे - NW५३</td><td>३६.६६</td><td>१८.३३</td><td rowspan="3">१५.८०</td><td>०.००</td><td rowspan="3">२५.००</td><td rowspan="3">१२.००</td><td rowspan="3">२.२२</td><td rowspan="3">०.००</td></tr>
<tr><td>४</td><td>मिरा भायंदर, जि.ठाणे येथे जेट्टीचे बांधकाम करणे - NW५३</td><td>३०.००</td><td>१५.००</td><td></td></tr>
<tr><td>५</td><td>डोबिंवली, जि.ठाणे येथे जेट्टीचे बांधकाम करणे - NW५३</td><td>२४.९९</td><td>१२.५०</td><td>०.००</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ६ | काल्हेर जि.ठाणे येथे जेट्टीचे बांधकाम करणे - NW५३ | २७.७२ | १३.८६ | | ०.०० | | | | |
| ७ | गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ क्लब येथे जेट्टी व तद्‌नुषंगिक कामे करणे | २२९.२८ | ११४.६४ | ४७.८३ | ०.०० | ४०.०० | १०.०० | ८.६६ | ०.०० |
| ८ | एलिफंटा (घारापुरी) ता.उरण, जि.रायगड येथे अस्तित्वातील जेट्टीची सुधारणा करणे तसेच पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे. | ८७.८४ | ४३.९२ | ०.०० | ०.०० | १.०० | १०.०० | १६.४६ | १६.४६ |
| ९ | उत्तन डोंगरी, ता.जि.ठाणे येथे रो-रो जेट्टीचे बांधकाम करणे. | ३०.८९ | १५.४५ | ०.०० | ०.०० | १.०० | ५.०० | ९.४५ | ०.०० |
| | **एकुण** | **५७९.७२** | **२८९.९०** | **१०४.६६** | **८.३५** | **७१.३७** | **३७.००** | **३६.७९** | **१६.४६** |

५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.बी-७, ३०५१ दिपगृहे व बंदरे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य (००)(०३) जेट्टीच्या बांधकामाकरीता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाला) केंद्र हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा ५०% (३०५१ १८९१), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा.

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-५, अनुक्रमांक १ व २ यानुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे.

७. केंद्र व राज्य शासनांच्या आवश्यक त्या परवानग्या विहित कालावधीत प्राप्त करुन घेण्यात याव्यात तसेच सदर प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांची राहील.

८. सदर प्रकल्पासाठी नेमलेले प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार (PMC) तसेच संबंधित विषयतज्ञ यांनी या प्रकल्पांच्या आराखडयास तसेच अंदाजपत्रकात सुचविलेले बदल/सूचना यांचा समावेश करुन तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी, या अटीस अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे.

९. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/रा.म.१, दि.०४.१२.२०२३ अन्वये तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९१/का.१४६१, दिनांक १०.०६.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६६/२०२४/व्यय-८, दिनांक २४.०६.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे.

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१६२७०८१८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

NILIMA MAHADEV KAMBLE

Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a208c0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, serialNumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C69531FAFE53ABFCAC9AB809231BD295B40EBE2, cn=NILIMA MAHADEV KAMBLE
Date: 2024.08.23 16:42:34 +05'30'

**( निलीमा कांबळे )**
**कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन**

**प्रत,**

१. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
२. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई
३. महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई.
४. अपर मुख्य सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई.
८. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२.
९. नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२.
१०.निवडनस्ती (बंदरे-२)